

18/6/25

वकील वारीगण उपस्थित। पत्रावली
में आज आदेश सुनाया जाना है।
पत्रावली का हस्तापूर्वक अवलोकन
होया, बचत पर मतलब दिया गया,
अगर वाद वारीगण डिकी दिया
जाता है। विस्तृत विधि प्रकाश
में लिया जाकर शक्ति पत्रावली
दिया गया। पत्रावली के साथ शुभारंभ
होकर से कम होकर दाखिल
दया है।



उपखण्ड अधिकारी
एवं वदेन सहायक कलस्टर
खेतडी, जिला इन्द्रापुर